सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 50 राँची, सोमवार, 9 फ़रवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

3 फ़रवरी, 2026

संख्या-5/आरोप-01-06/2022 का० 614--राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- 318(9)/रा०, दिनांक- 04.02.2022 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, चतरा के द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री जय वर्द्धन कुमार, झा०प्र०से०(को०क्र०-71/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हंटरगंज, चतरा के विरुद्ध मुख्यतः निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया हैः

"(क) वशिष्टनगर थानान्तर्गत मौजा करमाली के खाता संख्या-1, प्लॉट संख्या-2 में गैरमजरूआ खास किस्म जंगल झाड़ी से संबंधित तथ्यों को छुपाते हुए खनन पट्टा हेतु आवेदित भूमि को टांड- ।। रैयती मान्यता प्राप्त तथा क्षेत्र वन सीमा से बाहर बताने एवं अनुशंसा करने,

(ख) तथ्यों को छुपाना/राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक, हंटरगंज द्वारा प्रतिवेदित जांच प्रतिवेदन का पर्यवेक्षण ठीक से नहीं करना एवं खनन पट्टा हेतु अनुशंसा करने,

(ग) वरीय पदाधिकारी को गलत मंशा से प्रतिवेदन भेजने

(घ) दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतना।"

2. उपरोक्त आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या 19428(HRMS), दिनांक-04.03.2023 के द्वारा श्री जयवर्द्धन कुमार, झा०प्र०से०(को०क्र0-71/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, हंटरगंज, चतरा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. विभागीय कार्यवाही के उपरांत जाँच निष्कर्ष का प्रेषण विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक-420, दिनांक- 29.04.2025 के द्वारा की गयी। विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में तत्कालीन मुख्य सचिव महोदया के द्वारा निम्नवत् पृच्छा की गयी:-

"जांच प्रतिवेदन में "भूमि के प्रकार के संबंध में कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया गया है। विद्वान महाधिवक्ता के मन्तव्य की भी समीक्षा नहीं की गयी है। विशेष रूप से, प्रश्न संख्या-1(ग) के सन्दर्भ में दिये गये मन्तव्य के आलोक में वस्तुस्थिति अंकित की जानी चाहिये।"

5. उक्त के क्रम में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए विभागीय पत्रांक 4019, दिनांक-08.07.2025 के द्वारा श्री जयवर्द्धन कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के उपरांत प्राप्त जाँच प्रतिवेदन को वापस करते हुए मुख्य सचिव महोदया के पृच्छात्मक निदेश के आलोक में विधिवत् जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध श्री गणेश कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी से किया गया।

6. श्री गणेश कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक- 541, दिनांक- 14.07.2025 के द्वारा पुनः जाँच प्रतिवेदन इस विभाग में समर्पित किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा पुनः समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री जयवर्द्धन कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित नही होता है, प्रतिवेदित किया गया है।

7. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

8. माननीय झारखण्ड झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा कतिपय मामलों में विभागीय कार्यवाही/अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों को Exhibit नहीं करने, साक्ष्यों का परीक्षण संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों से नहीं कराये जाने एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं कराये जाने के कारण सरकार के द्वारा आरोपी सरकारी सेवक के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया जाता है।

9. अतः श्री जयवर्द्धन कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2016 के नियम-18(1) के आलोक में उक्त नियमावली के नियम-17 के तहत् पुनः जाँच करने तथा दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने,

संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण करने हेतु पुनः आगे जाँच किए जाने का निर्णय लिया गया है।

10. तदनुसार एतद् द्वारा श्री जयवर्द्धन कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु संचालित विभागीय कार्यवाही में शामिल हों तथा तत्संबंधी सूचना से इस विभाग को भी अवगत कराएँ।

11. श्री जयवर्द्धन कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में पुनः आगे जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

12. विभागीय संकल्प संख्या- 19428(HRMS), दिनांक- 04.03.2023 के द्वारा श्री जयवर्द्धन कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, चतरा को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

13. विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख, श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करते हुए अनुरोध है कि दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए यथाशीघ्र जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

14. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री जयवर्द्धन कुमार, झा०प्र०से० एवं श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 50 - 50